



(निबंधित प्राप्ति रसीद सहित)  
Registered with A/D  
JH/RNC/ 12247

## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन Employees' Provident Fund Organisation

क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड

Regional Office, Jharkhand

Bhagirathi Complex, Near Circuit House  
Karamtoli, Ranchi - 834001 (Jharkhand)  
Phone : 0651 - 2209174, 2209185, 2209145, 2200035, 2200104  
Fax No.: 0651 - 2209149

संख्या - जे.एबी./क्षे०.का०/सॅनी/अनुपालन/व्यापि/  
No.-JH/RO/RNC/CC/Covrage/ 12247/96 | 11193

दिनांक - 10/3/06  
Date -

सेवा म.

To

M/s. मेसर्स International Housekeeping & Maintenance Services  
G-Block Stair, H-50C, Sainik Market,  
Main Road, Ranchi

विषय कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अतर्गत रचित स्कीमों का  
मेसर्स

पर लागू होना।

Sub: Applicability of the Employee's Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act,  
1952 and the Scheme framed thereunder to M/s. International Housekeeping &  
Maintenance Services, G-Block Stair, H-50C, Sainik Market,  
Main Road, Ranchi

महादय

Sir:

आपके द्वारा दिनांक ..... को प्रेषित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का भविष्य  
निधि नियंत्रक / प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक ..... को किए गए नियंत्रण के आधार पर स्पष्ट  
होता है कि

On the basis of particulars furnished by you on 10/03/2006 and on the basis of the  
inspection of the record of your establishment conducted by the provident Fund Inspector/Enforce-  
ment officer on ..... It is evident that

(क) आपकी स्थापना / फेवर्टी अर्थात् मेसर्स

जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों / अनुसूची-1 में शामिल  
कार्य में लगी हुई है।

The contribution payable by the employer shall be at the rate of 12% basic wages, dearness allowance (including cash value of any food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer.

- (i) अशदान को सापेना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, महगाई भत्ता आदि, चाहे दैनिक, साप्ताहिक पाक्षिक या वारिक आधार पर की गई हो, की जाएगी।
- (ii) The Contribution shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc payable during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.
- (iii) अशदान को निकटतम रूपये में पूर्णकित किया जाएगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को, एक रूपया माना जाएगा तथा 50 पैसे से कम की मणना नहीं की जायगी।
- (iv) Each contribution shall be calculate to the nearest rupee i.e. 50 paise or more to be counted, as the next higher rupee and fraction of a rupee less than 50 paise to be ignored.
- (v) अशदान को सापेना हेतु वेतन को निकटतम रूपये में पूर्णकित किया जाएगा अर्थात् 50पैसे या उससे अधिक को एक रूपया माना जाएगा तथा 50 पैसे से कम की मणना नहीं की जाएगी।
- (vi) For the purpose of calculation of contribution, the wages may be rounded off to the nearest rupee i.e 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.
- (vii) सदस्यों नो वेतन देने से पूर्व आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से अशदान काटे और अपने अशदान यथा प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक माह के 15 तारीख से पूर्व भारतीय रेट बैंक में निविल लेखा में संबंधित चालानों द्वारा निम्नलिखित रूप से जमा करायें।
 

(क) क०भ० नि० अशदान	क०भ० नि० लेखा स० ०१ में जमा कराया जाए।
(ख) प्रशासकीय प्रभार	क०भ० नि० लेखा स० २ में जमा कराए।
(ग) पेशन अशदान	प० लेखा स० १० में जमा कराया जाए।
(घ) क्यानारो पशन अशदान	क०प० लेखा स० १० में ८.३३ की दर से नियोक्ता का अशदान जमा कराया जाए। (16.11.95 से प्रभावी)

Before paying the member his wages, you shall deduct the employees contributions from wages which together with your own contribution and administrative charges shall be paid within 15 days of the close of every month in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by separated challans in the following manner:

- |  |  |
|--|--|
| (a) E.P.F. contribution                                    | To be deposited in E.P.F. A/c No. 1  |
| (b) Administrative charges                                 | To be deposited in EPF A/c No. 2   |
| (c) Employees Pension contribution                         | To be deposited in Employee's Pension A/c No. 10   |
| (d) Employee's Pension scheme contribution w.e.f. 16.11.95 | To be deposited in Employee's Pension Scheme @ 8.33% in A/c No. 10 from Employee's share |

टिप्पणी:- (1) प्रशासकीय प्रभार की दर 01.08.98 से वेतन मूल, वेतन महगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य में किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, 1.10% प्रतिशत जो न्यूनतम 5 रूपये है।

Note : (i) The rate of administrative charges is 1.10% subject to a minlmum of Rs. 5/- w.e.f. 01.08.98 of pay, basic wages, dearness, allowance including cash value of any food-concession and retaining allowance, if any.

(ii) कृपया इस बात को जोड़ किया जाय यदि सदस्य के वेतन से समय पर कटौती नहीं की जाती तो नियोक्ता को दोनों

(c) आप से अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार / प्रेषित करें :-

You are required to maintain / forward the following return:-

(i) कमानी स्कीम 1952 के अन्तर्गत फार्म सं0 9

प.एस. स्कीम 1971 के अन्तर्गत तथा कपे. स्कीम

1995 के अन्तर्गत फार्म 3 (पपे. निधि तथा को प० निधि)

Form No. 9 under the E.P.F. Scheme 1952

& form No. 3(F.P.F.) / 3(PS) member under

F.P. Scheme 1971 and E.P.S. 1995

(ii) कमानी स्कीम 1952 और प० ५० निधि 1971

के अन्तर्गत तथा को प० ५० स्कीम 1995 के फार्म सं  
भ २ संशोधित

(i) Form No. 2 under the E.P.F. scheme' 1952  
under the F.P Scheme 1971 and Employees  
Pension Scheme' 1995

(ii) फार्म सं0 5-क

(iii) Form No. 5-A

(iv) फार्म सं0 3-क

(iv) Form No. 3-A

(v) फार्म सं0 6-क

(v) Form No. 6-A

(vi) फार्म सं0 12-क

ये रिटर्न केवल उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस  
कार्यालय को केवल एक बार जमा करानी होती है  
जिन्हे फैवटी / स्थापना की स्कीम के कार्यक्षेत्र में लाने  
की तिथि से सदस्य बनाया जाना अपेक्षित है या  
सदस्य बनने के पात्र हो गये है।

There are to be submitted to this office once in  
respect of these employees who are required or  
entitled to become member on the date the  
factory/establishment is covered under the Scheme.  
ये फार्म प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में प्राप्त कर इस  
कार्यालय भेजे जाने होते हैं।

These are to be obtained in duplicate from  
every member for sumission to this office.

ये दो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए।  
मालिकों में किसी भी प्रकार का बाद में परिवर्तन आने  
पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित  
किया जाना चाहिए।

This is to be submitted to this office in duplicate.  
Any subsequent changes in ownership is also to be  
notified to this office through this form.

ये फार्म प्रत्येक सदस्य / कर्मचारी सम्बन्धित फार्म है जिसे  
फैवटी स्थापना में ही रखा जाना चाहिए इस फार्म में  
भ० नि० में किए गए अशादान की प्रतिमाह प्रविष्टि करना  
होता है।

This is to be maintained at the factory establish-  
ment in respect of every employee who is a member  
in which the contribution paid to the P.F. are to be  
posted every month.

यह अशादान की वार्षिक विवरणी है और इसे प्रत्येक  
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर फार्म 3 क  
के साथ (फरवरी माह से सबधित अन्तिम अशादान प्रत्येक  
वर्ष मार्च से अदा किया गया दिखाया जाना चाहिए) इस  
कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

This is the annual return of contribution and is to be  
submitted to this office within 30 days of close of  
the financial year, along with form-3A (Last contri-  
bution to be show for Feb payable in March each year)

यह अशादान का रिटर्न फार्म है जिसे प्रत्येक अगले माह  
की 25 तारिख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता  
है। पारतीय रद्देट बैंक में जमा की गई राशि से सम्बन्धित

Employees Provident Fund, and the Securities thus transferred should be sent to this office. A note containing the instructions in the matter of transfer to these accumulations is enclosed. Cash on hand in relation to the Accounts of the private Provident Fund should be remitted within 30 days from the date of receipt of this communication, failing which damages at the prescribed rates will have to be paid by you on the delayed remittances made in cash after the due date.

जम्या पत्र व अनुलग्नों की प्राप्ति रसीद मिजवासे की कृपा करें।

The receipt of this letter along with its enclosures may kindly be acknowledged.

8/10

(T K Mukherjee)

सहायक/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, झारखण्ड, राँची

Asstt./Regional Provident Fund Commissioner, Jharkhand Ranchi

अधिलगंडा

Incl

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, कर्मचारी पेशन स्कीम, 1995, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा की लागू करने से संबंधित निर्देश।

1. Instructions regarding implementation of the Employees Provident Fund scheme, Family Pension Scheme, Employees Pension scheme 1995 and Employees Deposit Linked Insurance Scheme, लागू करने से संबंधित निर्देश।

2. Instructions regarding allotment of Account No.

3. प्रति भविष्य निधि राशि और प्रतिमुतियों का हस्तान्तरित करने से सम्बन्धित निर्देश।

4. Instructions regarding transfer of previous Provident Fund Accumulations and transfer of securities.

5. कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान कुटुम्ब पेशन अंशदान, को पें 0 स्कीम अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा अंशदान की संगणना से संबंधित रेडी रेकर्ड।

6. Ready Reckoner for calculation of Provident Fund contributions, Family Pension contribution, Employees Pension Scheme Contribution and Deposit Linked Insurance contribution.

